

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नाम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जा

20⁰⁸
24

वकील वाली उज्ज्वल वकील वाली को बुला गया परपत्नी
का अपलोड किया। वकील वाली की दोस्त
दिनांक 26/2/21 से मिलने वाली के साथ म-पुत्र म-पुत्र
की कार्यवाही हेतु समय पाया जा (होई) परन्तु आदिनांक
तक उनके द्वारा वकील के आरुद्र की कार्यवाही नहीं
की गई है। दिनांक 28/3/23 को अंतिम अवसर दिया
गया था। उसके बाद बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद
आरुद्र की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः दोष वकील
अपेक्षित होने एवं-भाषांतर 24/3/23 को मिलना नहीं किया जा
के साथ खारिज किया जाता है। परपत्नी के लिये उक्त कार्यवाही
नहीं की गई है।

सुपखण्डाधिकारी
बोलापुर (राजग)